

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 52/2018

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. अशोक कुमार कमल कुमार 18-बी, धानमण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. मै० अशोक कुमार कमल कुमार, वार्ड नं.8, गीता भवन की गली, महताब कॉलोनी, घडसाना जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)/51/52 एवं 26(2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 13.06.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.05.2017 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2017 को रात्रि लगभग 2.00 बजे (2.00 ए.एम.) पर फर्म मै० अशोक कुमार कमलकुमार एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर पवनकुमार पुत्र बलभद्र अग्रवाल, मै० अशोक कुमार कमल कुमार 18-बी, धानमण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को "Ghee (Krushna ki Nandani)" विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ "Ghee (Krushna ki Nandani)" के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो वहां दुकान में 32 प्लास्टिक जार, प्रत्येक प्लास्टिक जार में 450.00 ग्राम "Ghee (Krushna ki Nandani)" आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। इनमें से 4 नग प्लास्टिक जार, प्रत्येक जार में (450.00 ग्राम) "Ghee (Krushna ki Nandani)" जांच के लिए खरीद की, "Ghee (Krushna ki Nandani)" की कीमत




श्री. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

320/- रु अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री विक्रम चौहान एवं श्री कमल बंसल के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता पवन कुमार पुत्र बलभद्र अग्रवाल, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार प्लास्टिक जार पर , लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा "Ghee (Krushna ki Nandani)" को चारों नमूना प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक नमूना प्लास्टिक जार पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-839 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

रैफरल फूड लैब पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-सीएफएल/डीओ-392/ 17 /16/2018 दिनांक 02.01.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-839 "Ghee (Krushna ki Nandani)" अमानक स्तर (Substandard & Misbranded) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार कमल कुमार 18-बी, धानमण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर "Ghee (Krushna ki Nandani)" का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51/52 एवं 26(2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस "Ghee (Krushna ki Nandani)" का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard & Misbranded) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त "Ghee (Krushna ki Nandani)" में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण करने का श्रम करें।



डी. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया "Ghee (Krushna ki Nandani)" का सैम्पल के-839 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-सीएफएल/डीओ-392/17 /16/2018 दिनांक 02.01.2018 द्वारा (Substandard & Misbranded) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस "Ghee (Krushna ki Nandani)" का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard & Misbranded) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त "Ghee (Krushna ki Nandani)" में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण करने का श्रम करें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त पवन कुमार पर Substandard & Misbranded घी "Ghee (Krushna ki Nandani)" विक्रय करने पर धारा 51 के तहत शास्त्र 10000/-रुपये (अखरे रुपये दस हजार) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त घी "Ghee (Krushna ki Nandani)" का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में "Ghee (Krushna ki Nandani)" के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा)0
श्रीगंगानगर